प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' तैंतीस '

प्रश्न सं. [क्र. 4001]

[9/3/2016]

E:\VIDHAN SABHA 2016\2 Nd Phese\Recieved By SE EE 2 Nd\4001\VS4001 nagar palika letter SE SAGAR.docx

परिशिष्ट प्रपत्र - 1

कार्यालय नगर परिषद चंदला जिला छतरपुर म.प्र.

सूखा प्रभावित जिलों में पेयजल स्त्रोत/पेयजल प्रदाय की जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में।

क्र	नगरीय निकाय का नाम	तहसील का नाम	पेयजल स्त्रोत का नाम नदी/डेम/अन्य	पेयजल स्त्रोत में उपलब्ध पानी की मात्रा		पेयजल स्त्रोत में उपलब्ध पानी से किस माह तक जलप्रदाय किया जा सकेगा	आंकलन अनुसार पेयजल परिवहन की आवश्यकता			निकाय द्वारा तैयार की गई कार्ययोजना की लागत	कार्ययोजना कलेक्टर महोदय को प्रेषित करने का पत्र क्र. दिनांक	रिमार्क
				कुल क्षमता लेविल सहित	पानी की मात्रा में हुई कमी की जानकारी प्रतिशत में		पेयजल प्रारंभ करने का दिनांक	पेयजल परिवहन किस दिनांक तक संभावित	कुल दिनो की संख्या			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	नगर परिषद चन्दला	तहसील चन्दला	बोर वैल	2.00 लाख लीटर	60 प्रतिशत	दिसम्बर 2015	जनवरी 2016	जून 2016	180 दिन	अनुमानित लागत 1200000	15.10.15	-

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद चन्दला
जिला छतरपुर म.प्र.

सहायक यंत्री
(विधान-सभा प्रकोष्ठ)
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
लो. स्वा. यां. वि., भोपाल

विधान सभा प्रश्न क्र० 400। परिशिष्ट क्र-2
(छतरपुर)

कार्यालय कलेक्टर जिला छतरपुर म0प्र0

आदेश

छतरपुर; दिनांक 06/10/2015

क्रमांक /...30.../पेयजल राहत/2015/छतरपुर जिले में इस वर्ष औसत से कम वर्षा होने के कारण जल स्त्रोतो में पानी की कमी है। जलाशय एवं हैंडपंप मे पानी का गिरता जल स्तर देखकर यह आवश्यक हो गया है कि, जल स्त्रोतों के जल का उपयोग नियमित किया जाये।

अतः मैं डॉ0 मसूद अख्तर कलेक्टर छतरपुर म0प्र0 पेयजल अधिनियम 1986 की धारा(3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां का उपयोग करते हुये एतद् द्वारा जल प्रदाय सुरक्षित रख कर अबाध रखने हेतु छतरपुर जिले को अगली बरसात आने तक अथवा अन्य आदेश तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करता हूँ।

उक्त अधिनियम लागू हो जाने से कोई भी व्यक्ति पेयजल स्त्रोत का उपयोग सिचांई साधन एवं व्यावसायिक उपयोग में बिना कलेक्टर की अनुमति से नही करेगा। जल स्त्रोत हैंडपंप अथवा ट्यूब वैल से 200 मीटर परिधि में अन्य हैंडपंप अथवा ट्यूब वैल का उत्खनन नही करेगा एवं किसी भी निस्तारी तालाब के पानी का उपयोग सिचांई एवं व्यावसायिक कार्य हेतु नही करेगा।

शासकीय विभागो द्वारा खनित नलकूपो को छोडकर शेष सभी प्रकार के नलकूपो का खनन प्रतिबंधित रहेगा एवं विशेष परिस्थितियो में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की लिखित अनुमति के पश्चात् ही नलकूप खनन किया जा सकेगा।

इस आदेश के उल्लंघन करने पर वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। आज मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा जारी किया गया है।

Sd/-
(डॉ0 मसूद अख्तर)
कलेक्टर
जिला छतरपुर म0प्र0

छतरपुर दिनांक 06/10/2015

पृ0क0 77/राहत/2015

प्रतिलिपि,

1. राहत आयुक्त मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. कमिश्नर सागर संभाग सागर।
3. पुलिस अधीक्षक जिला छतरपुर।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छतरपुर।
5. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला छतरपुर की ओर पालनार्थ।
6. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जिला छतरपुर।
7. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग छतरपुर।
8. समस्त तहसीलदार जिला छतरपुर।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त जिला छतरपुर।
10. नगर पालिका अधिकारी समस्त जिला छतरपुर की ओर सूचनार्थ।
11. सहायक संचालक जन संपर्क जिला छतरपुर।
12. आदेश पत्रावली।

(डॉ0 मसूद अख्तर)
कलेक्टर
जिला छतरपुर म0प्र0

4097
12.10.15

E:\ANKITA FOLDER\... Letter.docx

[redacted]

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 4001 तारांकित
पूरक जानकारी

जिले में वर्तमान में पेयजल संकट नही हैं, अल्प वर्षा के कारण ग्रीष्म में संभावित पेयजल संकट निवारण हेतु सूखा राहत कार्ययोजना लागत रू. 794 लाख की तैयार की गई हैं।

(ख) चन्दला विधानसभा क्षेत्र में आने वाले संभावित पेयजल संकट से निपटने हेतु सूखा राहत कार्ययोजना लागत रू. 141.66 लाख की तैयार की गई हैं। स्वीकृति उपरांत आवश्यकता अनुसार कार्य कराया जाना प्रस्तावित हैं।

क्र.	कार्य का विवरण	प्रभावित बसाहट / ग्राम की संख्या	कार्य की संख्या	लागत दर रूपये (लाख में)	पूर्ण कार्य की लागत (लाख मे)
1	नये नलकूपों का खनन कार्य (हैण्डपंपों के लिये)	55	55 नग	1.00	55.00
2	जिन बसाहटों मे जल स्तर गिरने की संभावना हो उन नलकूपों में सिंगल फेस पंपों की स्थापना	21	21 नग	2	42.00
3	बंद नल जल योजना को चालू किये जाने का कार्य स्रोत के अभाव में	10	10 नग	3.00	30.00
4	अधिक गहराई वाले नलकूपों में राईजर पाईप विस्तार / बदली करण	65	1000 मीटर	0.003	3.00
5	ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल परिवहन	15	15 ग्राम	–	11.66
				कुल योगः–	**141.66**

(ग) नगर परिषद चन्दला के द्वारा लागत रू. 12 लाख की कार्ययोजना तैयार की गई हैं।

(घ) कलेक्टर छतरपुर के आदेश क्रमांक 30 / पेयजल राहत / 2015 छतरपुर दिनांक 6.10.2015 से छतरपुर जिले में इस वर्ष औसत वर्षा से कम वर्षा होने के कारण जिले में पेयजल परिरक्षण अधिनियम लागू किया गया हैं। जिसमे शासकीय विभागो द्वारा खनित नलकूपों को छोड़कर शेष सभी प्रकार के नलकूपो का खनन आगामी बरसात आने तक प्रतिबंधित रहेगा।

कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड
छतरपुर (म0प्र0)

C:\Users\PC\Desktop\BIDHAN SABHA FEB MARCH2016\DT 230216\VS4001_Purak jankari.docx